

प्रथम गंभीर फसल बीमा योजना

परिचय:- PMFBY की वर्ष 2016 में लांच किया गया तथा इसे कृषि और किसान कल्याण द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।

पातता:- अधिकृत क्षेत्रों में फसल उगाने वाले ज़ायदार किसान सहित सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं।

उद्देश्य:- (i) क्षेत्रों में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये किसानों की आय को स्थिर करना

(ii) कृषि क्षेत्र के लिये ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना

(iii) प्राकृतिक आपदाओं, कीटी और रोगों या किसी भी तरह से फसल खराब होने की स्थिति में शक बीमा क्षति प्रदान करना।

PMFBY के तहत तकनीक का प्रयोग:- (i) सफल बीमा क्षति

(ii) आगे की राय

(iii) नवीनतम तकनीकी उपकरण

Komal Yadav

CSC UKE